राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक : प. 9 (22) परि/RTA/87/22821 जयपुर, दिनांक : 16/4/13

सचिव
प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार,
अजमेर, अलवर, बीकानेर, भरतपुर,
चित्तोडगढ़, दौसा, जयपुर (उत्तर)
जयपुर (दक्षिण), जोधपुर, कोटा,
पाली, सीकर एवं उदयपुर।

विषय :– मंजिली वाहन के अनुज्ञा पत्र के आवेदन के साथ प्रस्तुत समय- सारणी का अनुमोदन करने बाबत।

उपरोक्त विषय में लेख है कि मंजिली वाहनों के अनुज्ञापत्र के आवेदन के साथ प्रस्तावित समय सारणी प्रस्तुत करना राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 के नियम 5.5 के उप नियम (3) के खण्ड (ग) के अनुसार अनिवार्य किया गया है।

राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 के नियम 5.6 के उप नियम (5) एवं सदस्य प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार के संकल्प संख्या 1/2013 के निर्देश संख्या (3) के अनुसार आवेदक द्वारा प्रस्तुत समय सारणी को उक्त संकल्प में दिए गए नोट क्रमांक (iv) की पालना, मार्ग की प्रकृति के परिप्रेक्ष्य में करते हुए सचिव प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार द्वारा अनुमोदित किया जाना निर्देशित है।

उक्त प्रावधानों के उपरांत भी कुछ सचिवों द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत समय-सारणी अनुमोदित न की जाकर अपनी ओर से समय सारणी जारी की जा रही है। इस प्रकार की कार्यवाही उचित नही होने के कारण समस्त सचिव प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारों को निर्देशित किया जाता है कि नियमों में उपलब्ध प्रावधानों एवं संकल्प 1/2013 में प्रदत्त निर्देशों की पूर्ण पालना की जावे।

सदस्य
प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार,
अजमेर, अलवर, बीकानेर, भरतपुर,
चित्तोडगढ़, दौसा, जयपुर (उत्तर)
जयपुर (दक्षिण), जोधपुर, कोटा,
पाली, सीकर एवं उदयपुर।

क्रमांक : प. 9 (22) परि/RTA/87/22822 — 825 जयपुर, दिनांक : 16/4/13
प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, सदस्य राज्य परिवहन प्राधिकार, राजस्थान।
2. निजी सचिव, सदस्य प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार (समस्त रोजन) मुख्यालय, जयपुर।
3. ~~अधिकारीगण मुख्यालय जयपुर (समस्त)।~~ (हटाएँ)
4. रक्षित पत्रावली।

उप परिवहन आयुक्त (नियम)

DSR/Rules/Letter/hindi letter